अर्धशासकीय परिपत्र संख्या- 35/20

अरविन्द कुमार जैन
आई०पी०एस

पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश
1-तिलक मार्ग, लखनऊ
फोन नं. 0522-2206104 फैक्स नं.-2206120
सीयूजी नं. 9454400101
ई-मेल : police.up@nic.in
वेबसाईट : https://uppolice.gov.in

दिनॉक:लखनऊ: मई 16 ,2015

प्रिय महोदय,

प्रदेश में चिकित्सा सेवा कर्मियों के जीवन को क्षति या खतरा या चिकित्सा सेवा संस्थाओं की सम्पत्ति को हानि पहुँचाने की घटना पर प्रभावी नियंत्रण लगाने के उद्देश्य से उ0प्र0 शासन के चिकित्सा विभाग द्वारा **"चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था" (हिंसा और सम्पत्ति की क्षति का निवारण) अधिनियम 2013** प्रख्यापित किया गया है जिसके प्रभावी अंश निम्नवत् हैं:-

धारा 3-कोई भी जो,-

(क) किसी चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी के विरूद्ध हिंसात्मक कृत्य करें, या

(ख) चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्थान की सम्पत्ति को क्षति पहुँचायें, ऐसे अपराध के लिए, **कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से, जो पचास हजार रूपये तक को हो सकेगा, या दोनों से दण्डित किया जा सकेगा ।**

धारा 4-धारा 3 के अधीन दण्डनीय अपराध **संज्ञेय एवं गैर जमानती होगा ।**

धारा 5-(1) धारा 3 के अधीन उपबन्धित दण्ड के अतिरिक्त न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय यह आदेश दिया जा सकेगा कि आरोपित व्यक्ति क्षतिग्रस्त चिकित्सीय उपस्कर के क्रय मूल्य की धनराशि और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था की **सम्पत्ति को हुई हानि के दोगुने की शास्ति के लिए दायी होगा ।**

(2) यदि ऐसे व्यक्ति द्वारा उपधारा (1) के अधीन शास्तिक क्षतिपूर्ति का संदाय नहीं किया जाता है, तो उसकी वसूली उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1950 की बकाया के रूप में की जायेगी।

3- कृपया इस सम्बन्ध में अत्यन्त कड़े निर्देश प्रत्येक थाने, रिपोर्टिंग चौकी एवं जनपद में तैनात समस्त अधिकारियों को इस आशय से निर्गत करें कि इसका पूरे उत्तर प्रदेश में सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय । इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा परिपत्र संख्या-33/2015 दिनॉक 8-5-2015 को निर्गत किया जा चुका है । इसका शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित हो ।

सहन्द

भवदीय,

16-5-15

(अरविन्द कुमार जैन)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद (नाम से)
उत्तर प्रदेश ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने हेतु प्रेषितः-

1- समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।

2- समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।

प्रतिलिपि सचिव, आई0एम0ए0, रिवर बैंक कालोनी, लखनऊ को उनसे हुई वार्ता के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित । सभी जनपदों/थानों को बड़े स्पष्ट निर्देश मेरे स्तर से निर्गत कर दिये गये हैं ।